"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री राम सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) संचालक, जनशक्ति नियोजन एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 202/13/2011/1-8/स्था.—श्री टामन सिंह सोनवानी (राप्रसे), विशेष सहायक, मान. मंत्री कृषि, पशुपालन एवं श्रम विभाग को दिनांक 31-1-2011 से 11-2-2011 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 30-1-2011, 12-2-2011 एवं 13-2-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टामन सिंह सोनवानी को मान. मंत्री कृषि, पशुपालन एवं श्रम विभाग के विशेष सहायक के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टामन सिंह सोनवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011

फा. क्र. 1190/390/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्रीमती प्रज्ञा पचौरी आत्मजा श्री जे. पी. पटेरिया को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक/550/बी-4/21/2007/14-2.—राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 26 (2) के खण्ड (3) के उपखण्ड (चार एवं छ:) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करती है :—

1. **श्रीमती पार्वती कश्यप, कोटियागुड़ा, विकासखण्ड-लोहडीगुडा, जिला बस्तर.**
एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यत: जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो हेतु.

उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष से अनाधिक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, [illegible]

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2011

क्रमांक/एफ 4-53/2006/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग के सूचना क्रमांक समसंख्यक दिनांक 4-11-2010 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टर में) (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	डुमरतराई प.ह.नं. 111, रा.नि.मं. रायपुर	311/10 का भाग, 325 का भाग, 333 का भाग, 335 का भाग, 339 का भाग, 357 का भाग, 358 का भाग.	4.73 हेक्टर	कृषि	आवासीय
2.	देवपुरी प.ह.नं. 114/31 रा.नि.मं.	494 का भाग, 492 का भाग, 490 का भाग, 491 का भाग, 420 का भाग, 401 का भाग, 421 का भाग, 422 का भाग, 415 का भाग, 416 का भाग.	1.88 हेक्टर	कृषि	आवासीय
3.	डुण्डा प.ह.नं. 118, रा.नि.मं.	214/2-3, का भाग, 217 का भाग, 219 का भाग, 521 का भाग, 563 का भाग, 571 का भाग.	0.78 हेक्टर	कृषि	आवासीय
4.	डुण्डा प.ह.नं. 118 रा.नि.मं.	202 का भाग, 203 का भाग, 204 का भाग, 205 का भाग, 217 का भाग.	2.94 हेक्टर	शैक्षणिक	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण रायपुर प्राधिकरण, रायपुर की कमल विहार योजना क्रमांक-4 के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अरपा निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 2-61/सात-2/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कनिष्ठ (जूनियर) प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-दो के कॉलम क्रमांक (5) में, शब्द तथा अंक "20% राजस्व निरीक्षक से", "अनुसूची-पांच के अनुसार लिपिक वर्गीय सेवा से 10% चयन द्वारा" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(1) 20% पद, राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा (2) 20% पद, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा चयन द्वारा भरे जायेंगे. जिसमें 10% पद लिपिकों से तथा 10% पद पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों से भरे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. F-2-61/Seven-2/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Junior Aministrative Service Recruitment Rules, 1980, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In column number (5) of Schedule-II, for the words and figures; "20% from Revenue Inspector", "10% by selection from Ministerial service as per Schedule-V" the words and figures "(1) 20% posts will be filled by the promotion of Revenue Inspectors, and (2) 20% posts will be filled by the limited competitive examination selection. In which 10% posts will be from Clerks and 10% posts from Patwaris and Revenue Inspectors." shall be substituted..

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमांक 13/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	डाड़जमड़ी	8.330	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र. 4/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदी	102.670	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.), सुधार संभाग क्रमांक-1, छ.ग. रा. वि.मं., कोरबा पूर्व.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युतगृह एवं राखड़ बांध निर्माण हेतु अर्जन किये जाने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र. 21/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	जिल्गा	2.93	सरपंच ग्राम पंचायत जिल्गा	दबन नाला बांध निर्माण हेतु अर्जन किये जाने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक 1030/भू-अर्जन/2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखुंटा प.ह.नं. 6	1.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	आलीखुंटा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक 1031/भू-अर्जन/2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	केसला प.ह.नं. 21	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	केसला एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक 1032/भू-अर्जन/2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	दर्री प.ह.नं. 16	0.45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	कोहका दर्री मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

सजनांदगांव, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक 1062/भू-अर्जन/2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पिनकापार प.ह.नं. 38	0.748	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मासूलजोब जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

रा.प्र.क्र.-11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	पाण्डातराई प. ह. नं. 30	0.821	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	गोधाटोला प. ह. नं. 49	3.343	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र में आने.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पवनतरा प. ह. नं. 46	1.850	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-17/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	0.335	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत पवनतरा सोनझरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-18/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कनवाटोला प. ह. नं. 49	9.226	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक क/358/भू-अर्जन अधि./वाचक/ वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलिहा प. ह. नं. 13	16	0.007	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), संभाग बिलासपुर.	महानदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
			17/2	0.001		
			18	0.030		
			19/1	0.010		
			19/2	0.010		
			19/3	0.010		
			20	0.085		
			21/1	0.046		
			21/2	0.047		
			22	0.093		
			23/1	0.028		
			23/2	0.032		
			25	0.057		
			26	0.259		
			29	0.009		
		योग	15	0.724		

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/180/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	कोटियाडीह प. ह. नं. 28	242/1	0.024	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायपुर संभाग, रायपुर.	कोटिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कोटियाडीह की ओर.
			242/2	0.024		
			254/2	0.049		
			255/1	0.049		
			255/2	0.053		
		योग	05	0.199		

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/181/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	हसुवा प. ह. नं. 23	2702/1	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायपुर संभाग, रायपुर.	कोटिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हसुवा की ओर.
			2710	0.016		
			2711	0.040		
			2712/3	0.052		
			2712/4	0.080		
		योग	05	0.289		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्र./1028/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धामनसरा, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	363	0.21
योग	1	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी में धामनसरा बाढ़ नियंत्रण तट बंधन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्र./1029/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-नांदिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	338/8	0.04
	338/6	0.05
	500/1	0.03
	500/2	0.03
योग	04	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अन्तर्गत नांदिया वितरण नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र./1558/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरटोला, प. ह. नं. 31/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.664 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22	10.664
योग	10.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवासीय प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक/33/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-डाडबछाली, प. ह. नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
169	0.09
170/3	0.15
168/2	0.04
योग	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर का पूरक प्रकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/516/क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-धमतरी
(ग) नगर/ग्राम-सिलतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106	0.60
योग	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/517/क/भू-अर्जन/6 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-धमतरी
(ग) नगर/ग्राम-तिर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	525/3	0.37
	539/2	0.08
	539/1	0.07
योग	3	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/518/क/भू-अर्जन/5 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-धमतरी
(ग) नगर/ग्राम-माटेगहन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.40
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/519/क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-धमतरी
(ग) नगर/ग्राम-कोलियारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141/1	0.80
76	0.18

(1)	(2)
77	0.16
152/1	0.07
योग 4	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजनं का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्रमांक/846/भू-अर्जन/1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कतियाररास, प. ह. नं. 3 (अ)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
117	0.31
118	0.07
योग	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जिला जेल पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-थोथराखुर्द, प. ह. नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.366 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129, 149/1, 142	0.882
144, 145	0.247
197/1	0.178
139, 140/2, 201, 207	0.740
147/2	0.073

	(1)	(2)
	148, 173	1.672
	172/1	0.218
	110, 111/2	0.631
	176/2, 178, 179	0.162
	192, 193	0.741
	196, 197/2	0.393
	194/2	0.186
	206/1	0.332
	206/2	0.134
	107, 108, 109	1.907
	117/4	2.023
	112/2, 113/2	0.263
	112/3, 113/3	0.263
	105/3	0.198
	121/2	0.809
	119/1	1.214
	119/2	1.364
	117/2	2.023
	117/3	2.023
	127	1.773
	159/2	2.023
	169/3	0.061
	172/2	2.833
योग	28	25.366

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महीडबरा जलाशय योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-07/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.927 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	58	0.020
	55/1	0.134
	52	0.121
	51	0.190
	47	0.219
	46	0.085
	46/1	0.065
	89/1	0.093
योग	8	0.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर आगर व्यपवर्तन योजना से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-08/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	21/9	0.142
	21/4	0.162
	19/3	0.125
	31	0.012
	33/3	0.081
	34/1, 36/1	0.113
	36/3, 45/3	0.041
	32/4	0.012
	461/1	0.049
	461/3	0.073
	488/5	0.012
योग	11	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर आगर व्यपवर्तन योजना से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-09/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मंगली, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.213 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/47	2.023
	120/3	0.049
	120/4	0.130
	1/18	1.011
योग	4	3.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चतरी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 जनवरी 2011

रा.प्र.क्र.-10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रोहरा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	207/3	0.105
योग	1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2011

रा.प्र.क्र. 02/अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-गिधनखार, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/2	2.023
	108	1.191
योग	2	3.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहारीडीह जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2011

रा.प्र.क्र. 03/अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारीडीह, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.802 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	206	0.223
	204	0.473
	184	0.449
	183/2	0.085
	181/1	0.137
	155/2	0.085
	176/2	0.113
	176/3	0.223
	153/4	0.251
	155/1	0.085
	155/3	0.085
	154/5	0.238
	147/2	0.166
	156/1	0.194
	156/2	0.113
	156/3	0.028
	156/4	0.057
	154/4	0.238
	148	0.223
	142/2	0.336
योग	20	3.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहारीडीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	242/1	0.053
	243/455/6	0.069
	243/1	0.018
	242/3	0.012
	243/3	0.018
	243/455/3	0.008
	294/1 ख	0.057
योग	7	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया-रायगढ़ मार्ग पण्डरीपानी दन्तार नाला पर सेतु निर्माण मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 जनवरी 2011

क्रमांक 3564/प्र. 1/अ.वि.अ./11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-थानखम्हरिया
(ग) नगर/ग्राम-घिवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	936/1	0.10
योग	1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्रमांक 636/अधीक्षक/2011.—छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/बी-1-222010/एक/4/रायपुर दिनांक 07 जनवरी 2011 के अनुसार श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर को कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है. अतएव: पूर्व में

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/8820/अधीक्षक/2010/कोरबा दिनांक 13-09-2010 द्वारा जारी कार्य बंटन आदेश में अपर कलेक्टर के मध्य आंशिक कार्य विभाजन किया जाता है :-

1. **श्री अभय कुमार मिश्रा (रा.प्र.से.),**

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा

1. नोडल अधिकारी - आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा
2. नोडल अधिकारी - महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा
3. नोडल अधिकारी - खाद्य शाखा
4. नोडल अधिकारी - भू-अभिलेख शाखा
5. नोडल अधिकारी - सामान्य निर्वाचन शाखा/स्थानीय निर्वाचन शाखा
6. पासपोर्ट
7. लायसेंस
8. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
9. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
10. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
11. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर कोरबा**

1. नोडल अधिकारी - कृषि एवं उद्यान
2. नोडल अधिकारी - अंतव्यवसायी
3. अपर कलेक्टर - नजूल
4. नगर सेना
5. सांख्य लिपिक शाखा
6. वरिष्ठ लिपिक/अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक/सहायक वरिष्ठ लिपिक शाखा
7. कोरबा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि-बंटन
8. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
9. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th January 2011

No. 03/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in column No. (2) of the table below are hereby promoted and appointed as Senior Civil Judge and :

The following Civil Judge Class-II are transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as

mentioned in Column No. (6) with a direction to join their place of posting on 17th January 2011 in the forenoon positively.

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Leena Agrawal, Civil Judge Class-II.	Rajim	Bhatapara	Raipur	Civil Judge Class-I
2.	Shri Pankaj Kumar Jain, Civil Judge Class-II.	Gunderdehi	Gunderdehi	Durg	Civil Judge Class-I
3.	Shri Pankaj Kumar Sinha, Civil Judge Class-II.	Pamgarh	Bilha	Bilaspur	Civil Judge Class-I
4.	Shri Harish Kumar Awasthi, Civil Judge Class-II.	Kondagaon	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-I
5.	Smt. Shraddha Shukla Sharma, XII Civil Judge Class-II.	Raipur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	II Civil Judge Class-I
6.	Ku. Garima Arya, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-I
7.	Shri Yashwant Kumar Sarthi, Civil Judge Class-II.	Saraipali	Saraipali	Mahasamund	Civil Judge Class-I
8.	Shri Nratyanjay Singh Patel, Civil Judge Class-II.	Kartala	Bhanupratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I
9.	Shri Rajendra Kumar Verma, Civil Judge Class-II.	Kunkuri	Kunkuri	Jashpur	Civil Judge Class-I
10.	Shri Manoj Kumar Prajapati, Civil Judge Class-II.	Sitapur	Pratappur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-I
11.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu, Civil Judge Class-II.	Gharghora	Gharghora	Raigarh	Civil Judge Class-I
12.	Ku. Sunita Sahu, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Shri Yashwant Wasnikar, Civil Judge Class-II.	Sarangarh	Sarangarh	Raigarh	Civil Judge Class-I
14.	Shri Niranjan Lal Chauhan, Civil Judge Class-II.	Tilda	Kasdol	Raipur	Civil Judge Class-I
15.	Smt. Usha Gendle, III Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	II Civil Judge Class-I
16.	Smt. Swarnalata Toppo, II Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I
17.	Shri Purushottam Singh Markam, Civil Judge Class-II.	Pakhanjur	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-I

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.